भारत का मध्यस्थता अधिनियम

स्रोत: लाइव मिंट

मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन में देरी से भारत का **वैकल्पिक विवाद समाधान** (ADR) ढाँचा प्रभावित हो रहा है।

- **भारतीय मध्यस्थता परिषद** के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिये **पीके मल्होत्रा** की अध्यक्षता वाली कार्य समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालाँकि, सरकार ने अभी तक इन नियमों को अधिसूचित नहीं किया है।
- **मध्यस्थता अधिनियम, 2023 का महत्त्व:**
  - **न्यायिक कार्यभार में कमी: भारतीय न्यायालयों में** लगभग **76.98 मिलियन** सिविल विवाद मामले लंबित हैं। इनमें से वाणिज्यिक मुकदमों का हिस्सा **0.36%** और मध्यस्थता का योगदान **0.77% है, जिन्हें मध्यस्थता अधिनियम, 2023** के तहत निपटाया जा सकता है।
  - **पारिवारिक मामले: इससे "थर्ड जनरेशन कर्स (Third-Generation Curse)"** को रोकने में मदद मिल सकती है , जहाँ विवादों के कारण **10% से भी कम** पारिवारिक व्यवसाय तीसरी पीढ़ी से आगे **तक संचालित रह पाते हैं।**
  - **बैंकिंग:** ऋण चूक और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) **से** संबंधित विवादों को सुलझाने में सहायक है।
  - **रियल एस्टेट क्षेत्र: परियोजना में देरी** और **क्रेता-डेवलपर अनुबंधों** से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान में सहायक है।
  - **वैश्विक मानकों के साथ तालमेल: इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मानकों** के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी , जो सीमा-पार व्यापार विवादों को सुलझाने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

//

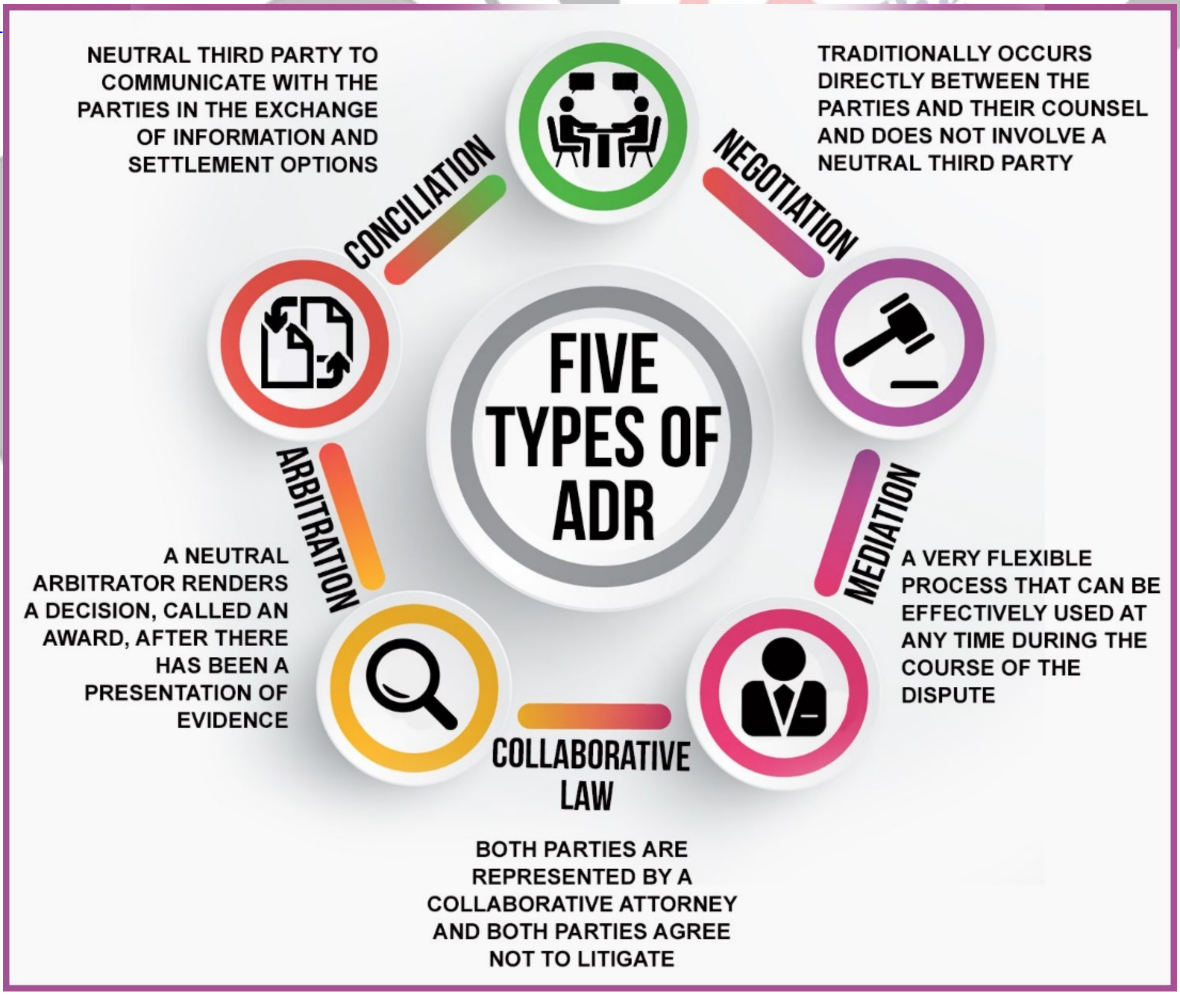

और पढ़ें: [मध्यस्थता अधिनियम, 2023: न्यायपालिका का कार्यभार कम करना]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-s-mediation-act-lies-unused